न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या **15 / 2017**

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री अनिल कोठारी पुत्र श्री सुन्दरलाल कोठारी मेसर्स कोठारी जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2- श्री सुनील कुमार गांधी पुत्र श्री गेंदमल मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद, सदर बाजार, माणक चौक प्रतापगढ़
3- श्री अशोक कुमार गांधी पुत्र श्री गेंदमल मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद, सदर बाजार, माणक चौक प्रतापगढ
4- श्री तुषार गांधी पुत्र श्री अशोक गांधी, मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद, सदर बाजार, माणक चौक प्रतापगढ
5- मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद, सदर बाजार, माणक चौक प्रतापगढ
6- श्री जय हिन्द मिश्रा पुत्र श्री रामसमूझ मिश्रा, निवासी 137, गली नं. 6, गौतम कॉलोनी, नरेला मामूर पुर, नरेला, उत्तर पश्चिमी, दिल्ली, M/S streling Agro Industries LTD. 74-76, HSIDC Industrial Area, Phase-1, Kundli District Sonipat (Haryana)
7- M/S streling Agro Industries LTD. 74-76, HSIDC Industrial Area, Phase-1, Kundli District Sonipat (Haryana)

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 08 / 12 / 2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीयान ने मिसब्राण्डेड घी (नोवा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म

नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र , फर्म के सम्बन्ध में वार्षिक रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने बाबत वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र । विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.08.2016 को दौराने गश्त 11.00 ए.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 कोठारी जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ पर पहुंचा, अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। उस समय दूकान पर श्री अनिल कोठारी पुत्र श्री सुन्दरलाल कोठारी आम जन को घी, तेल, मसाले बेच रहे थें । विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का स्वयं को मालिक होना बताया व स्थाई निवासी मकान नं. 255 महल दरवाजा, अरनोद जिला प्रतापगढ़ होना बताया । वास्ते निरीक्षणर्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां पर घी (नोवा ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल वाले (449ग्राम) के लगभग 15 पैकेट मूल ही सिल्ड अवस्था में आमजनता को बिक्री वास्ते एक पत्थर की रैक में रखे हुए थे तथा प्रत्येक पैकेटों पर 500ml Net (449g.) month & year manufacturer 04/6/16 , Batch No. HR-128, MRP 214/-, manufactured by- streling Agro Ind. Ltd., 11 th Floor, Aggarwal Cyber Plaza 2 NS place, pitampura, New Delhi 110034 manufacured at-74-76 HSDIC Industrial Area, Estate Phase-1 Kundli 131028 Distt, Sonipat (Haryana) FSSAI Lic. No. 10012064000861,Green Symbol present Best before Nine month from manufacture when Store Undercool & Dry Condition, given Nutritional Information given आदि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर घी का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। मौके पर विक्रेता ने घी (नोवा ब्राण्ड) को अन्य फर्म से क्रय करने के सम्बन्ध में कोई बिल प्रस्तुत नही किया। तत्पश्चात गवाहान एवं विक्रेता की उपस्थिति में घी (नोवा ब्राण्ड) के 500–500 एमएल (449 ग्राम) वाले 4 पैकेट मूल ही सिल्ड अवस्था में वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 720 रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की । जिस पर विक्रेता एवं गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व गवाहान को प्लास्टिक के 4 साफ सुखे एवं खाली चौकोर डिब्बें दिखाकर उक्त खरीद शुदा घी (नोवा ब्राण्ड) के चारो मूल सिल्ड पैकेटो को साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के चार डिब्बो में अलग–अलग रखकर ढक्कन से बन्द किया । मालिक विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–767 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए प्रत्येक नमूना डिब्बो पर लेबल चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई–767 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–767 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही मालिक व गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री माजिद अली च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 29.08.2016 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना जार मय फार्म संख्या 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 29.08.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की तथा दो सीलबन्द नमूना जार मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 29.08.2016 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

यह है कि मेसर्स कोठारी जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, अरनोद जिला प्रतापगढ़ को उक्त खाद्य पदार्थ (नोवा ब्राण्ड) को अन्य फर्म के खरीद बिल/केश मेमो/वेट इनवाईस जानकारी देने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

बाबत् पत्रांक 2872 दिनांक 05.09.2016 को प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त घी (नोवा ब्राण्ड) को मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद, सदर बाजार प्रतापगढ़ से खरीदने का बिल नम्बर 991 दिनांक 19.08.2016 प्रस्तुत किया।

यह कि गांधी चम्पालाल गुलाबचंद प्रतापगढ़ को फार्म न. 5 ए की छायाप्रति एवं वेट इनवाईस की छायाप्रति भिजाने बाबत् तथा फर्म से सम्बन्धित जानाकरी उपलब्ध कराने रजिस्टर्ड पत्रांक 3111 दिनांक 22.09.2016 को प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र व अनेक्जर की छायाप्रति व वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद के भागीदारों श्री तुषार गांधी, सुनील गांधी व अशोक गांधी के पहचान पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति तथा उनके द्वारा खाद्य पदार्थ घी (नोवा ब्राण्ड) को मेसर्स Sterling Agro Ind. LTD., 8/385, vidhyadhar Nagar, jaipur-302023 से खरीदने को वेट इनवाईस नम्बर जे.00310 दिनांक 28.07.2016 की छायाप्रति मय मेसर्स गांधी चम्पालाल गुलाबचंद का प्रावरण पत्र सहित प्रेषित किये।

यह कि मेसर्स Sterling Agro Ind. LTD., 8/385, vidhyadhar Nagar, jaipur-302023 को फार्म नं. 5 ए व बिल नं. जे 00310 दिनांक 28.07.2016 की छायाप्रति भिजवाने बाबत् तथा फर्म से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड पत्रांक 3184 दिनांक 30.09.2016 को प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति, वैट रजिस्ट्रेशन फार्म वेट–03 मय फार्म बी की छायाप्रति, नोमिनी जय हिन्द शर्मा का फार्म 9 मय रिजाल्यूशन की छायाप्रति स्टॉक ट्रांसफर चालान की छायाप्रति, प्रेषित किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना misbranded पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त अप्राथीगणों को खाद्य विश्लेषक उदयपुर की जॉच रिपोर्ट के विरूद्व अपील हेतु अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये ।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री अनिल कोठारी वगैराह को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण अभियुक्त स्वयं मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। अपने जवाब व लिखित बहस में बताया कि '' खाद्य विश्लेषक ने अपनी जॉच रिपोर्ट

न्यायिक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड होता है यह जॉच रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नही किया गया है। इस कारण से केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्व मिसब्राण्ड का प्रकरण आयद नही होता है।" जबकि खाद्य विश्लेषक उदयपुर द्वारा दौराने बहस बताया कि उक्त नमूना घी पेकिंग के लेबल पर कोलेस्ट्राल की मात्रा आवश्यक रूप से अंकित होनी चाहिए। घी एक खाद्य पदार्थ है ओर हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। ऐसी परिस्थिति में लेबल पर कोलेस्ट्राल की मात्रा नही लिखने से तथा आम आदमी को इसका उपयोग करने से उककी सेहत पर बुरा असर पड सकता है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस 470/Act/2016/508 दिनांक 29.09.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा घी (नोवा ब्राण्ड) का नमूना जांच रिपोर्ट में misbranded होना पाया गया है।

अतः अप्रार्थी अभियुक्त M/S streling Agro Industries LTD. 74-76, HSIDC Industrial Area, Phase-1, Kundli District Sonipat (Haryana) द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति 50000/रू अक्षरे पचास हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **08.12.2017** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2017/ 283-85 दिनांक 08.12.2017
23.12.17

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. M/S streling Agro Industries LTD. 74-76, HSIDC Industrial Area, Phase-1, Kundli District Sonipat (Haryana)

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़